16

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37/2022 बउनवानी जितेन्द्र कुमार मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं अति जिला कलेक्ट,स0मा0
निवासी– प्लाट नम्बर–3 नानेश वाटिका, राधा माधव गोशाला के पास खेरद,स0मा0

GCMS No-2022/67 **On line N0- 321243006434157**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.1.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

Particulars of information required status of grant of parole of my elder brother Chanra shekhar meena, Application sent by jail Superintendent, Central jail in the month of oct,2021

1- please provide the status of parole application
2- If parole application has been rejected, please provide the reason of rejection with copy of application rules.
3- please provide the copy of reply sent to jail Superintendent, central jal Jaipur on parole application

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2()/सूकाअ/2022/54 दिनांक 12.4..2022 से अवगत कराया कि प्रभारी अधि0 न्याय अनुभाग के पत्रांक/न्याय/सूकाअ/2021/721 दिनांक 11.2.2022 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि श्री चन्द्र शेखर उर्फ शेखर मीना उर्फ चन्दू पुत्र जयराम मीना निवासी ग्राम लाडोता तहसील मलारना डूँगर का पैरोल हेतु आवेदन मूल ही अभिमत के उपाधीक्षक कारागृह सवाईमाधोपुर से प्राप्त होने पर न्याय अनुभाग के पत्रांक /न्याय/आपात पैरोल/2021/325 दिनांक 25.1.2022 के द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जयपुर को प्रेषित कर दिया गया है इसलिए वांछित सूचना केन्द्रीय कारागृह से प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार वांछित सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (न्याय अनुभाग के पत्रांक 721 दिनांक 11.2.2022 एवं 325 दिनांक 25.1.2022 की प्रति जिसमे पैरोल के प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही है) की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तहत समय सीमा मे उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर